

राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

जगतार सिंह बनाम जसमेल कौर आदि

प्रकरण का प्रकार प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी क्रमांक 166 सन 2022

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
17.05.2022	<p>प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी वास्ते आदेश पेश हुआ। विद्वान अभिभाषकगण को प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील संख्या 104/2009 अनवान जगतार सिंह बनाम जसमेल सिंह आदि में दिनांक 06.09.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। कोविड 19 के कारण अदालती कार्यवाही ठप हो जाने के कारण अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 06.09.2021 को उपस्थिति नहीं देकर यह अपील अदम पैरवी में खारिज करवा ली। अपील अदम पैरवी में खारिज करवाने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया। लगभग सभी रेस्पोंडेण्ट की तामील हो चुकी थी कुछ रेस्पोंडेण्ट की तलबी बाकी रह गई थी। अपील अदम हाजरी में खारिज होने से अपीलाण्ट/प्रार्थी को भारी नुकसान होगा। अपील में गुणावुणों पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय डिक्री अपास्त होने योग्य है तथा इस अपील को पुनः रेस्टोर फरमाया जावे।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>प्रार्थी कोविड 19 के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका जिसके कारण उसकी अपील अदम हाजरी में खारिज हो गई थी। प्रकरण में खातेदारी हक हिस्से का महत्वपूर्ण बिन्दू निहित है। ऐसे प्रकरणों का गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। चूंकि प्रकरण को गुणावगुण पर ही निस्तारित करना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील संख्या 104/2009 अनवान जगतार सिंह बनाम जसमेल सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 निरस्त किया जाता है। अपील पुनः बाजवा नम्बर पर दर्ज की जावे। प्रार्थना-पत्र निर्णित शुमार हो।</p>	



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़